

6/4.50

उत्तराखण्ड शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
संख्या- /xxxi(15)G-74(सा0)/2016-18
देहरादून: दिनांक 03 फरवरी, 2018
अधिसूचना

निगोशिएबल इन्स्ट्रुमेन्ट एक्ट, 1881 (एक्ट संख्या-26, 1881) की धारा-25 द्वारा प्राप्त उन अधिकारों को काम में लाकर जिन्हें भारत सरकार की विज्ञापित संख्या-20/25-56-पव-1, दिनांक 08 जून, 1957 के अनुसार उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या-1018/xxxi(15)G-16-74 (सा0)/2016-18 दिनांक 15 दिसम्बर, 2017 में निर्दिष्ट उत्तराखण्ड राज्य में सार्वजनिक अवकाशों की अनुसूची के अनुलग्नक-1 के क्रमांक-02 एवं अनुलग्नक-04 के क्रमांक-02 पर अंकित महाशिव रात्रि का अवकाश दिनांक 14 फरवरी, 2018 (दिन बुद्धवार) के स्थान पर दिनांक 13 फरवरी, 2018 (दिन मंगलवार) पढ़ा जाय। दिनांक 14 फरवरी, 2018 को समस्त राजकीय कार्यालय यथावत खुले रहेंगे।

उक्त अधिसूचना की अन्य शर्तें यथावत रहेगी।

आज्ञा से,
(राधा रतूड़ी)
प्रमुख सचिव।

संख्या- 155 (1)/XXXI(15)G-74(सा0)/2016-18 तददिनांक।

प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री को मा0 मुख्यमंत्री जी के संज्ञानार्थ।
2. निबन्धक, मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल का सूचनार्थ एवं ऐसी कार्यवाही हेतु प्रेषित जिसे मा0 उच्च न्यायालय आवश्यक समझे।
3. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
4. अपर मुख्य सचिव/समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5. सचिव, विधानसभा, उत्तराखण्ड।
6. सचिव, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
7. मुख्य स्थानिक आयुक्त, उत्तराखण्ड, नई दिल्ली, 104 इन्द्रप्रकाश बिल्डिंग, 21 बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली।
8. महालेखाकार, उत्तराखण्ड ओबेराय बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।
9. सचिव, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली।
10. सचिव, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय (पेंशन एवं प्रशिक्षण विभाग) भारत सरकार, नई दिल्ली।
11. स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
12. समस्त जिलाधिकारी/विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
13. सचिव, उत्तराखण्ड शिक्षा परिषद, रामनगर, नैनीताल।
14. संयुक्त निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तराखण्ड, रुड़की को गजट के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ एवं 200 प्रतियां सामान्य प्रशासन विभाग को एक सप्ताह के अन्दर उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
15. समस्त राज्य सरकारों तथा संघ शासित के मुख्य सचिव एवं रीजनल डायरेक्टर इण्डियन मीटिरियोलॉजिकल डिपार्टमेन्ट, अलीपुर, कोलकाता।
16. पुनर्गठन अग्रमुक्त कार्यालय, उत्तराखण्ड, लखनऊ।
17. निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त अवकाश सूची को उत्तराखण्ड सरकार की आधिकारिक वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
18. सचिवालय के समस्त अनुभाग।
19. गार्ड फाईल।

he
(राधा रतूड़ी)
प्रमुख सचिव।